कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0बजट–35/2016–19 **दिनांक : 06.01.2017**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत फोरेस्ट कॉलोनी, डोरण्डा के सामुदायिक भवन में चेकर्स टाईल्स लगाने हेतु कुल **रू0 10.00 लाख (दस लाख रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–23/2016–44/स्वी0 व0प0 दिनांक 25.10.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–23/2016–78/आ0 व0प0 दिनांक 25.10.2016 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, लघु शीर्ष– 101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष– 15 "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 10.00 लाख (दस लाख रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601101150103	3.900
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101150323	6.100
कुल :–		**10.000**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनु0–1** पर वर्णित सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने प्रमण्डल के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

3. इस योजना का कोड संख्या– 19P240601101150103 एवं 19P240601101150323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को अवगत करायेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन

सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार की जायेगी।

12. पुराने एवं जीर्ण–शीर्ण भवनों को कन्डेम कराकर उसी स्थान पर नया भवन निर्मित किया जाय एवं जो सामग्री विक्री हेतु उपयुक्त हो उसे निलामी कर विक्री की जाय तथा राशि कोषागार में जमा की जाए।

13. भवन निर्माण के पूर्व स्थल की फोटोग्राफी (विडियोग्राफी) की जाय एवं निर्माण के उपरान्त पुनः फोटोग्राफी (विडियोग्राफी) की जाय तथा एक प्रति इस कार्यालय में जमा की जाय।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार

कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उप आवंटित राशि के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन तैयार कर उसपर सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय सुनिश्चित किया जाय।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

8/11/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\Forest Management Facility\Constration.doc

कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उप आवंटित राशि के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन तैयार कर उसपर सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–35/2016–19** दिनांक– **06.01.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र–राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

6/1/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उप आवंटित राशि के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन तैयार कर उसपर सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–35/2016–19** दिनांक– **06.01.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र–राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–35/2016–19** दिनांक– **06.01.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

6/1/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पदाधिकारियों / कर्मचारियों के कार्यालय, आवास, वन विश्रामागार, चाहरदिवारी आदि का नव निर्माण एवं पेयजल सुविधा से संबंधित प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी		भवनों का नाम	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii		iii	iv	v	vi	vii
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	i	फोरेस्ट कॉलोनी, डोरण्डा के सामुदायिक भवन में चेकर्स टाईल्स	10.000	3.900	6.100	10.000
			योग :–	**10.000**	**3.900**	**6.100**	**10.000**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-35/2016/19 **दिनांक -** 06-Jan-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	81580	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	390,000.00 रुपये तीन लाख नब्बे हजार
2	P 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	81581	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	610,000.00 रुपये छः लाख दस हजार

योग: 1,000,000.00

क्रमिक योग: रुपये दस लाख

6/1/2017

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 6/1/2017